उपसभापति जी, बुलंदशहर मे एक चांदियाना गांव है, उसके एक निवासी - श्री बबलू मोदी हैं, उनका 4 साल का बच्चा कहीं बाहर गया और उसका अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता ने इस बच्चे को ले जाकर इसकी बलि चढ़ा दी और बाद मे उसका शव उस अपहरणकर्ता के गांव के किसी गोदाम में पाया गया। ढूंढने पर उस बच्चे का शव वहां मिला। उसके पिता की क्या दशा रही होगी, यह बताने की आवश्यकता नही है। इससे पूरे इलाके में एक अजीब प्रकार का माहौल पैदा हो गया था। इस घटना से एक-दो दिन पहले आगरा में इसी प्रकार की घटना हुई। आगरा में एक नगला ईनामी गांव है, वहां से एक मासूम बच्चे का अपहरण किया गया और अपहरण करके उसकी बलि चढ़ा दी गई, उसका शव भी इसी तरह से पाया गया। इससे लोगों को लगने लगा है कि इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन पर जैसा नियंत्रण होना चाहिए, वह नियंत्रण नही हो पा रहा है। मैंने पिछली बार केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि बच्चों के अपहरण के लिए संगठित रूप से कोई गिरोह काम कर रहा है। वह बच्चों का अपहरण करके उसका कई प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है। कई जगह बलि चढ़ाई जा रही है, कई जगह बच्चों को लेकर कुकृत्य किए जा रहे हैं, बच्चों को बाहर भेजा जा रहा है, उनसे श्रम करवाया जा रहा है, उन्हे विदेशों मे भेजा जा रहा है। एक ऐसी हालत पैदा कर दी गई है, जिसके कारण हर परिवार आतंकित हो उठा है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रभावी तौर पर इसको कोई राज्य का विषय न मानते हुए, राज्य के साथ आपस में सामंजस्य बैठाते हुए, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस प्रकार की बात करें, तो मै समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा होगा। यहां के लोगों के मन में अंदर जो आतंक का माहौल बना हुआ है, भय का माहौल बना हुआ है, उस भय से मुक्ति पा सकने में वे सक्षम हो सकेंगे। अगर इस पर केन्द्र सरकार ध्यान दे, तो बड़ी कृपा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान) : महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से संबद्ध करती हूं।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से संबद्ध करती हूं।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री रघुनन्द शर्मा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से संबद्ध करता हूं।

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से संबद्ध करता हूं।

Plight of weavers and recent incidents of suicide by them

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, आज मैं सदन का ध्यान उन करोड़ों हैण्डलूम तथा छोटे पावरलूम weavers और उनके परिवार की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जो आज मजबूर होकर, इस दिल्ली शहर में आकर पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि farmers की suicide के बाद कहीं किसी community में suicide हो रही है, तो वह हैण्डलूम और छोटे पावरलूम weavers की है, क्योंकि नया लिबरल पॉलिसी होने के बाद किसी रूप में उनके inputs का दाम बढ़ा है, किस रूप में quantitative restriction हटा कर imported cheap सिल्क और तमाम चीजें आ रही हैं, तो हिन्दुस्तान के हैण्डलूम और पावरलूम, जो छोटे

सेक्टर में हैं, वे चौपट हो रही हैं। सर, उन्होंने आज यह मांग की है कि सरकार की नीतियों में कम से कम लोन weavers की सबसे अधिक जरूरत है। दूसरी बात, कम दाम में, subsidised rate पर उनको inputs उपलब्ध कराया जाए। यह आर्थिक मांग हर हैण्लूम weavers की है, चाहे वे किसी जाति या धर्म के हों, वे उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हैण्डलूम weavers का एक हिस्से का विशेष सामाजिक पहलू भी है। आज वे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से बहुत बड़े पैमाने का विशेष दलित मुस्लिम भी है। मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि आज उनका व्यवसाय चौपट होने के कारण उनको कोई वैकल्पिक ढूंढना पड़ रहा है। एक धार्मिक भेदभाव के कारण उनको SC category से वंचित रखा जाता है, जिसके कारण उनको कोई भी सरकारी अधिकार उपलब्ध नही हो रहे हैं। आज "रंगनाथ मिश्र कमीशन" ने इन्ही तबकों के हालात को देखते हुए यह सिफारिश की कि धार्मिक आधार पर SC के बंटवारे को eliminate किया जाए और उनको भी इस सूची में रखा जाए। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि "सच्चर कमिटी" के अनुसार मुस्लिम community के जो सामाजिक और पिछड़े तबके है, उनकी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है कि उनको jobs में भी रिजर्वेशन हो। मैं समझती हूं कि artisan और उनके बच्चों की आज जो स्थिति है, अगर हम "रंगनाथ मिश्र कमीशन" के आधार पर इस प्रकार के रिजर्वेशन को लागू नही करेंगे, तो इसको हम हल नही कर पाएंगे। मुझे गर्व है कि पूरे देश भर में पहली सकार जिन्होंने "रंगनाथ मिश्र कमीशन" की सिफारिश को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है, वह पश्चिमी बंगाल की "लेफ्ट फ्रंट सरकार" है। सर, मैं यह मांग करती हूं कि केन्द्रीय सरकार हैण्डलूम weavers और पावरलूम weavers की मांगों की आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। आज हमारे भाई श्री अली अनवर अंसारी जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है, मेरी अलग पार्टी है, लेकिन मैं समझती हूं, चूंकि उनकी मांग जायज़ है, इसलिए मैं उनकी मांगों के साथ अपना झुकाव प्रकट करती हूं। धन्यवाद।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : महोदय, मैं अपने आपको इस विषय से संबद्ध करता हूं।

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, I also associate myself with it.

SHRI SHYAM BENEGAL (Nominated): Sir, I also associate myself with it.

Social, economic and cultural exploitation by fake dharma gurus bringing disrepute to religion

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं जिस मुद्दे की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह मुद्दा बहुत गंभीर है और इसे जब मैं यहां व्यक्त कर रहा हूं, तो यह सबकी पीड़ा होगी। यह किसी जाति या धर्म विशेष को लेकर नहीं है, यह न ईसाईयों के लिए है, न मुस्लिमों के लिए है और न हिन्दुओं के लिए है। हम सब देख रहे हैं कि पिछले दिनों कुछ पाखंडियों द्वारा, ढोंगी बाबाओं द्वारा, पादरियों द्वारा मुल्ला, मौलवियों और इमाम द्वारा जिस तरह से घटनाएं की जा रही हैं, वह देश के सामने बहुत गंभीर समस्या बन कर आ रही है और इतनी भयावह स्थिति उपस्थित कर रही है कि देश की आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंच रही है।

आज सोमवती अमावस्या है और लाखों लोग हरिद्वार में कुंभ का स्नान कर रहे हैं। यह देश आस्थाओं का है, यह देश अर्पण का है, तर्पण का है और इस देश में हमारी संस्कृति का कुठाराघात करने वाले इन पाखंडियों के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्या ये पाखंडी बाबा एक दिन में पैदा होते हैं? क्या इस तरह के पादरी, जो